न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–मुरैना

1– कमलादेवी पत्नी श्री प्रेमचन्द्र
2– वीरेन्द्र पुत्र श्री प्रेमचन्द्र
3– विवेक पुत्र श्री प्रेमचन्द्र
4– नरेन्द्र पुत्र श्री प्रेमचन्द्र
निवासीगण – कोट का कुंआ, वार्ड क्र. 15, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)
5– ऊषा पुत्री श्री प्रेमचन्द्र पत्नी श्री शिव नारायण शुक्ला, निवासी सिटी सेन्टर, पटेल नगर 179, ग्वालियर
6– संगीता पुत्री श्री प्रेमचन्द्र पत्नी रामपाल दोदेरिया, निवासी ग्राम बहुआ, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड
7– सीमा पुत्री श्री प्रेमचन्द्र पत्नी श्री अजय शर्मा, निवासी 5–ए, रंजनीगंधा एन्कलेव गोले का मंदिर, ग्वालियर म0प्र0
8– रीमा पुत्री श्री प्रेमचन्द्र पत्नी श्री बच्चन पाठक, निवासी शताब्दीपुरम, बी–99, ग्वालियर म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– नरेशचन्द्र उर्फ मुन्नालाल पुत्र श्री बृन्दावन
2– प्रवीण कुमार पुत्र श्री बृन्दावन
3– अनिल कुमार पुत्र श्री बृन्दावन
4– राकेश कुमार पुत्र श्री बृन्दावन
निवासीगण– कोट का कुंआ, वार्ड क्र.15, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 208 /2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 26.05.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवदेकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारो पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदकगण के मृतक पिता श्री प्रेमचन्द्र द्वारा गोहद, जिला भिण्ड में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 775/1 रकवा 2.216 हैक्टेयर के संबंध में नाम दर्ज कराये जाने बावत् संहिता की धारा 115 एवं 116 के अन्तर्गत आवेदन पत्र

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1996/एक/2016 जिला–भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
21.12.16	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण क्रमांक 208/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 26.05.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि गौहद में स्थित सर्वे क्रमांक 775/1 रकवा 2.216 है0 पर भूमि स्वामी के रूप में नाम दर्ज कराने बावत् आवेदन संहिता की धारा 115–116 के अन्तर्गत आवेदकगण के मृतक पिता प्रेमचन्द्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2012 से स्वीकार किया था। तत्पश्चात् अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी गौहद के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी जो स्पष्टतः अवधि बाह्य थी। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील को अवधि बाह्य मानकर आदेश दिनांक 29.08.2014 से निरस्त किया था इसके बाद अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील चंबल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। जो एक पक्षीय आदेश दिनांक 26.05.2016 को स्वीकार की गयी इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं। 3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि द्वितीय अपीलीय	

न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत् अवसर प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया है कि आवेदकगण द्वारा प्रकरण में पैरवी हेतु अपने अभिभाषक नियुक्ति कर दिये थे यदि वह किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हुये थे तब ऐसी स्थिति में न्यायालय को सद्भाविक विचार करते हुये प्रकरण में आगामी सुनवाई की पेशी नियत करना चाहिये थी। किन्तु न्यायालय द्वारा सद्भाविक विचार किये बिना अभिभाषक की अनुपस्थिति में एक पक्षीय आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अभिभाषक द्वारा यह भी बताया कि आवेदकगण के पिता द्वारा संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था जो वास्तविक स्थिति एवं अभिलेख पर विचार कर आदेश दिनांक 22.05.2012 पारित किया था जिसके विरूद्व प्रथम अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गयी थी जो अवधि बाह्य मानकर निरस्त हुयी थी ऐसी स्थिति में द्वितीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष अवधि का प्रश्न विचारणीय था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति के विपरीत आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। भूमि सर्वे क्रमांक 775/1 रकवा 2.216 है0 आवेदकगण के पूर्वज श्री सुबालाल भटेले का नाम राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज चला आ रहा था किन्तु बिना किसी आदेश के उनका नाम राजस्व अभिलेखों से हटाया गया है किन्तु उपरोक्त स्थिति में बावजूद आवेदकगण का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र पूर्ववत् इन्द्राज दुरूस्ती के संबंध में दिया गया था। जिसपर विधिवत् विचार करने के पश्चात् अपर तहसीलदार वृत गौहद द्वारा आदेश पारित किया था। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थिर

रखा गया है किन्तु द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी कारण के उक्त आदेश को अपास्त किया है जो कार्यवाही त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह आधार लिया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदकगण की ओर से अभिभाषक उपस्थित नहीं हुये है ऐसी स्थिति में उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है। जहॉ तक तहसील न्यायालय के आदेश का प्रश्न है तो संहिता की धारा 115, 116 में भूमि स्वामी दर्ज किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया है जिसकी की कोई जानकारी उन्हे नहीं दी गयी है इसलिये अवधि बाह्य अपील प्रस्तत की गयी थी। जो सरसरी तौर पर तकनीकी बिन्दुओं पर निरस्त कर दी गयी थी। इसके पश्चात् द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा संहिता के प्रावधानो एवं प्रकरण के तथ्यों पर विधिवत् विचार करने के पश्चात् जो आदेश पारित किया है वह अपने स्थान पर विधिवत् एवं सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

6– उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालयो के अभिलेखो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया है, अभिलेख में संलग्न सूचना पत्र दिनांक 08.01.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचना पत्र व्यक्तिशः नहीं दिये गये है सभी सूचना पत्रों में प्राप्तकर्ता के रूप में वीरेन्द्र के हस्ताक्षर बने हुये है इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को सूचना पत्र की तामील नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय रूप से सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतो के प्रतिकूल होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। जहॉ तक

तहसील न्यायालय के आदेश का प्रश्न है तो अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदकगण के पिता द्वारा आवेदन पत्र संहिता की धारा 115,116 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था। जिसके संबंध में विधिवत् जॉच की गयी थी तथा अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदकगण के पूर्वज बाबा श्री सूबालाल भटेले का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज था। किन्तु उपरोक्त नाम आगामी वर्षो में हटाया दिया गया है। इस संबंध में ग्राम पटवारी गौहद के कथन अंकित किये गये है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा कास्त करके चला आ रहा है ऐसी स्थिति में भूमि सर्वे क्रमांक 775/1 रकवा 2.216 है0 पर अभिलेख सुधार किये जाने के संबंध में जो आदेश विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह विधिवत् एवं उचित होने से निरस्त किये जाने का कोई कारण नहीं है।

7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.05.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी गौहद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2014 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

सदस्य